रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 343

No. 367] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941 [N.C.T.D. No. 343

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

फा. सं. 1051/टी.ओ. (एस.)/टी. सी. फेलिंग/18-19/10799-10807.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जी॰ पी॰ आर॰ ए॰ कॉलोनी, 380 न॰ टाइप-II, 310 न॰ टाइप-III, 50 न॰ टाइप-IV, ई॰ पी॰ सी॰ बेसिस, त्यागराज नगर, नई दिल्ली के पुनर्विकास हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 5.381 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या				अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	बचाए जाने वाले	सूखे	प्रत्यारोपण	योग	
जी॰ पी॰ आर॰ ए॰ कॉलोनी, 380 न॰ टाइप-II, 310 न॰ टाइप-III, 50 न॰ टाइप-IV, ई॰ पी॰ सी॰ बेसिस, त्यागराज नगर, नई दिल्ली।	338	01	42	381	430 उपभोगी संस्था द्वारा।
योग	**338**	**01**	**42**	**381**	**430**

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

1. आवेदक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 24,51,000 /–रूपये (चौबीस लाख इक्यावन हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(क)	देशी प्रजातियों के 430 पौधों का 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण उपभोगी संस्था द्वारा उसी परियोजना स्थल, त्यागराज नगर पर किया जाएगा, (क्षेत्रफल 53810.00 वर्गमीटर)।	430	24,51,000/–	उप–वन संरक्षक (दक्षिणी)/वन अधिकारी

2. देशी प्रजातियों के 430 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा और उनका सात वर्षो तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपरोक्त 1 (क) के अनुसार निगरानी की जाएगी ।

3. 1:10 स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले पौधे 43 वृक्षो को हटाये जाने के बदले में प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण साइट विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के बाद किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।

4. जिस भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है, उसका उपयोग संबंधित वृक्ष अधिकारी की स्वीकृति के बिना अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

5. दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची प्रस्तुत की जाएगी ।

6. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा ।

7. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाना चाहिए और इसे 3 महीने के अंतराल में पूरा किया जाना चाहिए, जिसके बाद एक पूर्ण रिपोर्ट वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए । स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

8. वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एक प्रस्तावित नीति दिल्ली सरकार में विचाराधीन है, इसलिए भविष्य की अनुमति में नीति के कार्यान्वयन के कारण प्रभावी होने वाले किसी भी बदलाव को संभावित प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा ।

9. 43 वृक्षों को हटाने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर दी जाएगी और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना अनुमति दी जाएगी, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है ।

10. वृक्षों को हटाने / प्रत्यारोपण किए जाने से पहले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा ।

11. प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

12. वृक्षों को हटाने/ प्रत्यारोपण किए जाने के स्थल से सभी वृक्षो की ढुलाई के लिए अनुमति वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से प्राप्त करनी होगी।

13. वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भू-स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी। वृक्षों की ऊपरी शाखाएं (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए और इसकी सूचना उप–वन संरक्षक (दक्षिण) / वृक्ष अधिकारी को दी जानी चाहिए ।

14. (क) वृक्षों को हटाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकडियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ख) उपभोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनीषा सक्सेना, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th December, 2019

F. No. 1051/TO(S)/TC-felling/18-19/10799-10807.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 5.381 ha. approx as detailed below for redevelopment of GPRA Colony at Thyagraj Nagar, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location.	No. of trees to be				Compensatory plantation required (Number of trees)
	Saved	Dry	Transplantation	Total	
Redevelopment of GPRA Colony at Thyagraj Nagar, New Delhi.	338	01	42	381	430 by User Agency.
Total	**338**	**01**	**42**	**381**	**430**

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. The applicant i.e Central Public Works Department shall make an advance deposit of an amount of Rs. 24,51,000 /- (Rupees Twenty Four Lakh and Fifty One Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.N.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(a)	100% Compensatory Plantation of native species shall be carried out by User Agency, around the same project site at Thyagraj Nagar, New Delhi (area 53810.00 sq m).	430	24,51,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer

2. 100% Compensatory Plantation of 430 saplings of native species will be raised and maintained by Central Public Works Department for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) above.

3. 1:10 plants of indigenous species 6-8 feet height will be planted as compensatory plantation on non-forest land in lieu of removal of 43 no. of trees. The plantation will be done following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance would be carried out thereafter by User Agency with their own funds.

4. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for any other purpose without the approval of Tree Officer concerned.

5. Detailed plantation schedule will have to be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

6. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.

7. Transplantation of trees must be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than 3 (three) months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees should not be less than 4 metre (point to point).

8. A draft policy on transplantation of trees is under active consideration with State Government of Delhi, therefore, any change brought in to effect due to implementation of the policy in future, permission would be modified to that extent with the approval of Competent Authority with prospective effect.

9. Permission for felling/transplantation of 43 tress would be granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

10. Before the felling/transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the user agency.

11. Progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

12. Before felling/transplantation from site of removal of trees, permission for transportation of the tree/all trees shall be obtained from Tree Officer (South).

13. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned by the user agency. The proceeds will be deposited as revenue to the Government account. The lops and tops of trees will be sent/ supplied to nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South)/ Tree Officer.

14. (a) Before shifting of timber if any, from site removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from DCF (South).

(b) All the conditions mentioned in environmental clearance by competent authority.

By Order and in the Name of the Government
of National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.31 22:45:29 +05'30'